[भारत के राजपत्र,असाधारण के भाग ।।, धारा 3 के उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रयक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 30/2020 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 10 जुलाई 2020

सा.का.नि. _____ (ई) ।- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (i) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सा. का. नि. 129(ई) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, धारा 3 के उपखंड (i) प्रकाशित अधिसूचना संख्या09/2012 - सीमा शुल्क, दिनांक 09.03.2012 में आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है । यथा:-

2. उक्त अधिसूचना में, शर्त संख्या (iii) में, निम्नलिखित परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

""बशर्ते कि उन मामलों में जहां पुनःआयात की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के बीच आती है, अंतिम तिथि तीन महीने के लिए बढ़ाई जाती है;"।

(फा.सं.डीजीईपी/ईओयू/08/2020)

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (ड्रॉबैक)

<u>नोट -</u>

प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2012 -सीमा शुल्क, दिनांक 09 मार्च, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, धारा 3, उपधारा (i) में जी.एस.आर.संख्या 129 (ई), दिनांक 09 मार्च 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 60/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित किया गया एवं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, धारा 3, उप-धारा(i)में जी.एस.आर संख्या 738 (ई),दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।